भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 838

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

तेलंगाना में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें

838. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान तेलंगाना में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे संबंधित हताहतों में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना में वर्ष 2019 से 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे हुई मौतों का आंकड़ा क्या है तथा दुर्घटनाओं और उनसे संबंधित मौतों की सबसे अधिक घटनाओं वाले राजमार्गों और दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य के दुर्घटना-प्रवण इलाकों में स्ट्रक्चरल गलतियों, ब्लाइंड स्पॉट और उच्च-जोखिम ज़ोन की पहचान की है, यदि हाँ, तो वर्ष-वार इसका ब्यौरा क्या है और इन चुनौतियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया; और

(घ) सड़क दुर्घटना में घायल होने या मृत्यु होने पर व्यक्ति और उसके परिवार को कितनी वित्तीय और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा तेलंगाना में विगत पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को कुल कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) तेलंगाना राज्य के पुलिस विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना राज्य में 'सड़क श्रेणी' (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यीय राजमार्ग और अन्य) के अनुसार 2019 से 2024 की अवधि के दौरान सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की कुल संख्या नीचे की तालिका में दी गई है: -

वर्ष	दुर्घटनाएं				मौतें			
	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	अन्य सड़कें	कुल	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय राजमार्ग	अन्य सड़कें	कुल
2019	7352	2501	11717	21570	2491	902	3571	6964
2020	6820	1992	10360	19172	2620	759	3503	6882
2021	7214	2192	11909	21315	2735	864	3958	7557

2022	7505	2183	11931	21619	3010	820	3729	7559
2023	8103	1860	12940	22903	3058	717	3885	7660
2024	8599	2028	15359	25986	3066	686	4197	7949

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2019-21 ब्लैकस्पॉट श्रृंखला के तहत, 214 ब्लैकस्पॉट की अभी पहचान की गई है, जबकि तेलंगाना राज्य में 403 ब्लैकस्पॉट बार-बार चिन्हित किए जाते हैं।

सड़क सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा के रूप में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा पहल तृतीय पक्ष लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव सभी चरणों में अनिवार्य कर दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं के लिए व्यय की जाने वाली आवंटित धनराशि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत के 2.21% से 15% तक अलग-अलग होती है।

(घ) केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार हिट और रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप व्यक्तियों की मृत्यु के संबंध में मुआवजा प्रदान करती है। तदनुसार, सरकार द्वारा सा.का.नि. 163(अ) दिनांकित 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना, 2022 के पीड़ितों को मुआवजा अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दो लाख रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाती है। योजना दिशानिर्देशों में गंभीर चोट के मामले में 50000/- रुपये की राशि का मुआवजा प्रदान करने के प्रावधान भी हैं।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अनुसार, सरकार ने मोटर वाहनों के उपयोग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदी रहित(कैशलेस) उपचार प्रदान करने के लिए एक योजना (स्कीम) तैयार की है। योजना की प्रमुख विशेषताओं को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

• पीड़ित दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक के प्रति पीड़ित कैशलेस उपचार के हकदार हैं।

• राज्य सरकारों (पुलिस, पैनलबद्ध अस्पतालों, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) आदि के समन्वय से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा लागू किया जाना है।

•आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल के लिए पैकेजों को सहयोजित किया गया है।

• मोटर वाहन दुर्घटना निधि से प्रतिपूर्ति किए जाने वाले उपचार प्रदान करने के लिए अस्पतालों द्वारा किए गए दावे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 5 मई, 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ित योजना, 2025 के कैशलेस उपचार को अधिसूचित किया है। प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं और स्पष्ट रूप से चित्रित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत दिशानिर्देश भी 4 जून, 2025 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 164ख के अधिदेश के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना निधि का गठन किया है, जिसका उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत बनाई गई योजना के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए किया जाना है। निधि में सामान्य बीमा कंपनियों के साथ-साथ सरकार द्वारा बजटीय अनुदान से एकत्रित योगदान शामिल है।

सामान्य बीमा परिषद (जीआईसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, तेलंगाना से हिट एंड रन मोटर मुआवजा दावे 2024-25 से प्राप्त हुए थे, जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

दावों की संख्या	**01.04.2024 से 31.03.2025**			**01.04.2025 से 30.11.2025**		
	मौत	**गंभीर चोट**	**कुल**	**मौत**	**गंभीर चोट**	**कुल**
प्रस्तुत	36	9	45	154	48	202
भुगतान किया गया	8	2	10	44	19	63
भुगतान की गई राशि (रु. में)	16 लाख	1 लाख	17 लाख	88 लाख	9.5 लाख	97.5 लाख

*****